न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 953/2022

अनवान : –

1. विनय कुमार पुत्र अनिल कुमार जाति जाट निवासी रानिया रोड़ गांधी कॉलोनी सिरसा।

– **वादी**

बनाम्

1. अनिल कुमार पुत्र श्रवण जाति जाट निवासी दड़ोली हाल–फेफाना तहसील नोहर।
2. अजय कुमार पुत्र अनिल कुमार जाति जाट निवासी रानिया रोड़ महात्मा गांधी कॉलोनी सिरसा।
3. नमता पुत्री अनिल कुमार जाति जाट निवासी लेहरियान, फतेहबाद।
4. रेखा सिंधु पुत्री अनिल कुमार जाति जाट निवासी हिसार जिला हिसार।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांकः 13/12/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 1 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 83/59 की कुल 1.0880है0 भूमि में से 4/15 हिस्सा व खाता स0 67/60 की कुल 3.5420है0 भूमि में से 4/15 हिस्सा व रोही मौजा 8 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 99/78 की कुल 6.4630है0 भूमि में से 4/15 हिस्सा व खाता स0 98/77 की कुल 1.9090है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा व रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 के खाता स0 69/69 की कुल 3.3254 है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा व रोही मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता स0 72/72 की कुल 7.1200है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रतिवादी स0 1 [illegible] वृद्ध है व्यक्ति है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहता है तथा अपना [illegible] भी हक व हिस्सा है [illegible]पने पुत्रों के पक्ष

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:36:08 IST
Reason: SelfAttested

में परित्याग कर चुका हैं तथा प्रतिवादीया स0 3 ता 4 जो की वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक व हिस्सा है अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। प्रतिवादी स0 1 व 3 ता 4 का उक्त वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा नही बचा है। इसलिए वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी स0 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को काफी मर्तबा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की अनिल कुमार जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि में, वादी व प्रतिवादी स0 2 अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकार है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना जवाब ईकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण का कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 5 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादीगण के द्वारा शपथ पत्र बाबत पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी को घरेलु जरूरतों के हिसाब से केसीसी आदि की आवश्यकता रहती है जिसके लिए अपने हिस्सा अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाना चाहता है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 1 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 83/59 की कुल 1.0880है0 भूमि में से 4/15 हिस्सा व खाता स0 67/60 की कुल 3.5420है0 भूमि में से 4/15 हिस्सा व रोही मौजा 8 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 99/78 की कुल 6.4630है0 भूमि में से [illegible] हिस्सा व खाता स0 98/77 की कुल 1.9090है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा व रोही मौजा [illegible] तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 के खाता स0 69/69 की कुल 3.3254 है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा व रोही मौजा 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:36:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता स0 72/72 की कुल 7.1200है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल जवाब दावा पेश कर अर्ज किया है यदि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 83/59 की कुल 1.0880है0 भूमि में से 4/15 हिस्सा व खाता स0 67/60 की कुल 3.5420है0 भूमि में से 4/15 हिस्सा व रोही मौजा 8 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 99/78 की कुल 6.4630है0 भूमि में से 4/15 हिस्सा व खाता स0 98/77 की कुल 1.9090है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा व रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 के खाता स0 69/69 की कुल 3.3254 है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा व रोही मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता स0 72/72 की कुल 7.1200है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त सभी खातों में प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 1 एवं प्रतिवादी स0 2 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 13.12.23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:36:08 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 953/2022

अनवान : —

1. विनय कुमार पुत्र अनिल कुमार जाति जाट निवासी रानिया रोड़ गांधी कॉलोनी सिरसा।

— वादी

बनाम्

1. अनिल कुमार पुत्र श्रवण जाति जाट निवासी दड़ोली हाल—फेफाना तहसील नोहर।
2. अजय कुमार पुत्र अनिल कुमार जाति जाट निवासी रानिया रोड़ महात्मा गांधी कॉलोनी सिरसा।
3. नमता पुत्री अनिल कुमार जाति जाट निवासी लेहरियान, फतेहबाद।
4. रेखा सिंधु पुत्री अनिल कुमार जाति जाट निवासी हिसार जिला हिसार।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा व श्री भरतसिंह बैनीवाल की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071—2074 के खाता स0 83/59 की कुल 1.0880है0 भूमि में से 4/15 हिस्सा व खाता स0 67/60 की कुल 3.5420है0 भूमि में से 4/15 हिस्सा व रोही मौजा 8 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070—2073 के खाता स0 99/78 की कुल 6.4630है0 भूमि में से 4/15 हिस्सा व खाता स0 98/77 की कुल 1.9090है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा व रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2075—2078 के खाता स0 69/69 की कुल 3.3254 है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा व रोही मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074—2077 के खाता स0 72/72 की कुल 7.1200है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त सभी खातों में प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 1 एवं प्रतिवादी स0 2 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:36:08 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर